अवैध कॉलोनी निर्माण कर जनता के साथ धोखाधडी करने वाले कॉलोनाईजर के खिलाफ ई0ओ0डब्ल्यू0 उज्जैन में F.I.R. दर्ज

जांच उपरांत ईओडब्लयू द्वारा उज्जैन स्थित गौरी नन्दन परिसर कॉलोनी एवं दशरथ नंदन कॉलोनी के कॉलोनाईजर के विरूद्ध F.I.R. दर्ज की गई है।

भूमि :– भूमि सर्वे कमांक 3268/3 पर गौरी नन्दन परिसर कॉलोनी, ग्राम चिंतामण जवासिया, उज्जैन एवं भूमि सर्वे कमांक 138/2, ग्राम चिंतामण जवासिया पर दशरथ नंदन कॉलोनी

आरोपी :–
1. ऋतुराज सिंह चौहान पिता मानसिंह चौहान
2. जसराज शर्मा पिता मदनलाल शर्मा
3. सोनू पिता श्री लाल शर्मा
4. पुष्पराज सिंह पिता हुकुमसिंह चौहान

धारा :– 420, 120बी, भा0द0वि0 एवं 292 (ग) नगर पालिक अधिनियम 1956

जांच में पाई गई अनियमिततायें :–

- गौरी नन्दन कॉलोनी में टी एण्ड सी पी, नगर निगम, कॉलोनी सेल, रेरा आदि से कॉलोनी की वैध अनुमति प्राप्त नहीं की गई।
- शासन को राजस्व की हानि कारित की गई।
- ग्राहकों (प्लॉट खरीदने वालों) के साथ धोखाधड़ी की गई
- मूलभूत सुविधाओं यथा–पीने का पानी, बिजली, सड़क एवं सीवर लाईन विकसित करने का वायदा कर विकास नहीं किया गया।

- दशरथ नन्दन कॉलोनी में ई0डब्ल्यू0एस0 के नियमों का उल्लंघन किया गया।
- आज दिनांक तक दोनो कॉलोनियों का कार्यपूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं किया गया।

अपराध का विवरण :–

प्रकोष्ठ मुख्यालय में पंजीबद्ध शिकायत की जांच के दौरान पाया गया कि, आरोपियों द्वारा शहरी क्षेत्र में गौरी नन्दन परिसर कॉलोनी, में प्लॉट काटकर आम जनता को विकय किये गये किन्तु उक्त कॉलोनी के संबंध में कॉलोनाईजर द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश, कॉलोनी सेल, नगर निगम तथा रेरा से आवश्यक अनुमनियां प्राप्त नही की गई।

कॉलोनाईजर द्वारा उक्त कॉलोनी को विकसित करने के पूर्व संबंधित अनुमतियां प्राप्त करने के लिये जो राजस्व शासन को भुगतान करना था उसका पालन नहीं करके कॉलोनाईजर द्वारा शासन को राजस्व की हानि कारित की गई है।

दशरथ नंदन कॉलोनी में कॉलोनाईजर द्वारा कॉलोनी विकसित करने के लिये शासन द्वारा निर्धारित विकास कार्य जैसे पानी, बिजली, सड़क का झूठा वादा कर प्लॉट विकय कर ग्राहकों के साथ धोखधड़ी की गई परन्तु उपरोक्त सुविधाओं का विकास नहीं किया गया।

शासन द्वारा निर्धारित मापदंड के पालन में कॉलोनाईजर को कुल बिल्ट–अप एरिया का 15 प्रतिशत के मान से भूखण्ड कमजोर आय वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0) के लिये आरक्षित करना आवश्यक था किन्तु कॉलोनाईजर द्वारा ई0डब्ल्यू0एस0 के संबंध में निर्धारित नियमों का उल्लंघन किया गया।

इस प्रकार आरोपीगणों द्वारा ग्राहकों के साथ झूठा वादा कर धोखाधड़ी करने, TNCP, RERA, नगर निगम की अनुमतियां प्राप्त ना कर शासन को राजस्व की हानि कारित करने तथा EWS के मापदण्डों का पालन ना करने एवं कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त ना करने के कारण धारा 420, 120बी, भा0द0वि0 एवं 292 (ग) नगर पालिक अधिनियम 1956 के अंतर्गत F.I.R. दर्ज की गई है।